

8/8/24

पत्रावली पेश हुई, वकील अपीलान्त आविष्टता/वकील
अपीलान्त ने आगे कोई कार्यवाही नहीं चालने का
निवेदन पर नोट फ़ैल किया। वकील अपीलान्त
के निवेदन अनुसार पत्रावली नोट फ़ैल में खारिज
की जानी है, फैसला शुद्ध होकर नंबर से फ़र्म हो

Not Recd
B/S

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

